न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/555

श्री प्रभूलाल (मृतक) आत्मज श्री गुलाब चन्द जी जाति मेहन निवासी ग्राम मोईकला तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये कायममुकामान :–

1. घींसी बाई पत्नी स्व0 प्रभूलाल ।
2. धनराज आत्मज स्व0 प्रभूलाल ।
3. मुकेश आत्मज स्व0 प्रभूलाल ।
4. श्रीमती लाबा बाई पत्नी स्व0 लेखराज ।
5. मोनिका पुत्री स्व0 लेखराज जाति मेहर ।
6. तन्नु कुमारी पुत्री स्व0 लेखराज जाति मेहर ।
7. दीपिका कुमारी पुत्री स्व0 लेखराज जाति मेहर नाबालिग जरिये वली माता लाबा बाई ।
8. विमला बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल ।
9. गिरजा उर्फ गिर्जेश पुत्री स्व0 प्रभूलाल
10. मनभर बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल निवासीगण ग्राम मोईकला तहसील सांगोद जिला कोटा।

——अपीलान्ट

बनाम

धन्ना लाल आत्मज कल्ला जी जाति हरिजन निवीस ग्राम मोईकला तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——रेस्पोड़न्ट

उपस्थित :– 1. श्री भारत सिंह अडसेला, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 23.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट (मृतक) प्रभूलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम मोईकला तहसील सांगोद जिला कोटा में कुल 07 किता की 2.38 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी है । अप्रार्थी धन्ना लाल के ग्राम मोईकला में आराजी खसरा नम्बर 3136 रकबा 0.73 हैक्टर जिसके साबिक खसरा नम्बर

1812 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा आवंटित हुई थी । उक्त भूमि पर अप्रार्थी को दखल नहीं दिया गया । वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी के गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रतिवादी का उक्त भूमि पर आज दिन तक कभी भी कब्जा नहीं रहा है । सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी को सूचना दिये बिना ही प्रार्थी के खाते की आराजी अप्रार्थी के खसरा नम्बर 3136 नक्शे में अंकन कर दिया । सेटलमेंट ने प्रार्थी के साबिक खसरा नम्बर 1812 की 10 बीघा 18 बिस्वा के वर्तमान मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 2896 की रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2897 की 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 2898 की रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 3132 की रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 3133 की रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 3135 की 0.06 हैक्टर कायम किये गये । सेटलमेंट द्वारा बिना मौके की स्थिति को जाने उक्त आराजी को मौके के विपरीत नक्शाट्रेस में अंकित कर दिया जिसकी जानकारी अप्रार्थी द्वारा अपनी आराजी की पैमाईश कराने के लिए पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.05.2013 को मौके पर जाकर पैमाईश करने पर प्राप्त हई । राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से हुए अंकन का फायदा उठाकर अप्रार्थी उक्त आराजी को खुर्द–बुर्द कर सकता है तथा प्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकता है ।

3. अतः प्रार्थीगण के पक्ष में ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में गलत रूप से दर्ज आराजी का लाभ उठाकर अप्रार्थी आराजी को अन्यत्र कहीं रहन, बय एवं अन्य प्रकार से अन्तरण आदि नहीं करे तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक मौके पर काश्त करने दें, प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थी करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी (मृतक) प्रभूलाल के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके एवं कब्जे की स्थिति के विपरीत जाकर साबिक खसरा नम्बर 1812 की 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि को नक्शे में तरमीम नहीं किया तथा अपीलान्ट के पति व पिता प्रभूलाल जी को सूचित किये बिना ही खसरा नम्बर 1812 की 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिस पर प्रभूलाल जी काबिज काश्त थे को खसरा नम्बर 3136 कायम कर अप्रार्थी के गैर खातेदारी में तथा नक्शे में अंकन कर दिया । साबिक खसरा नम्बर 1812 की 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसमें बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 3136 कायम किया गया है पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा है । रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि पर कभी भी दखल नहीं दिया गया है उक्त भूमि अपीलान्ट के पति/पिता तथा दादा श्री प्रभूलाल के खातेदारी की भूमि है । दिनांक 16.05.2013 को पटवारी हल्का द्वारा पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर भी अपीलान्ट के पिता व पति प्रभूलाल जी हाल खसरा नम्बर 3136 की भूमि पर कब्जा होना प्रमाणित था । प्रार्थी का प्रकरण प्रथमदृष्टया प्रमाणित है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति उनके पक्ष में है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि प्रभूलाल जी साबिक खसरा नम्बर 1740 की 03 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 1812 की 10 बीघा 18 बिस्वा कुल 02 किता की 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदार थे । सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2897 रकबा 0.78 हैक्अर, खसरा नम्बर 2898 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 3132 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 3133 रकबा 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3135 रकबा 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2902 रकबा 0.62 हैक्टर कुल 07 किता की 2.38 हैक्टर कायम किये हैं । मौके एवं कब्जे की स्थिति में विपरीत साबिक खसरा नम्बर 1812 की 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि को नक्शे में तरमीम नहीं किया गया । इसके नये खसरा नम्बर 3136 कायम कर अप्रार्थी की गैर खातेदारी एवं नक्शे में अंकन कर दिया । आराजी पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा है वरन् यह अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे में रही है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता व पति प्रभूलाल का कब्जा होना प्रमाणित था फिर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । इस आराजी का जो विक्रय किया गया है और उसके आधार पर जो इंतकाल खोला गया है वह अवैध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 निरस्त फरमाया जावे।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नक्शे में तरमीम का प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं लाया जा सकता वरन् यह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 का मामला है । वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं है इस कारण धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा यह कथन करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है कि सेटलमेंट विभाग ने मौके की स्थिति में विपरीत खसरा नम्बर 2896 की रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 2897 की 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 2898 की 0.76 हैक्टर, खसरा नम्बर 3132 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 3133 रकबा 0.04 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3135 रकबा 0.06 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2906 रकबा 0.62 हैक्टर को नक्शा ट्रेस में अंकित कर दिया है । इस प्रकार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि नक्शे में तरमीम भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा सही नहीं की गई है । नक्शे में त्रुटि की दुरूस्ती भू–राजस्व अधिनियम के तहत होती है

न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत । इस प्रकार प्रथमदृष्टया प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यही प्रतीत होता है कि नक्शे में तरमीम की सहायता मुख्य रूप से चाही गई है जो भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत । यद्यपि पक्षकारों के अधिकार एवं स्वत्व मूल दावे में तय होंगे इस स्टेज पर नहीं । इस स्टेज पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रकरण नक्शे में तरमीम से सम्बन्धित होने के कारण प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2015 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.10.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा